समक्ष :— श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैप भोपाल

प्र0क0

CF-14-813

R-3011-PBR/13

जमना प्रसाद आ0 हरप्रसाद विश्वकर्मा आयु 58 वर्ष, नि0 ग्राम मंगरमौली तह0 सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदक / निगरानीकर्ता

श्री आर.के.नेमा
अभिभाषक द्वारा
आज दिनांक 30.7.13
को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
30.7.13

विरूद्ध

डोमल सिह आ0 मुंशीलाल आयु 55 वर्ष, जाति विश्वकर्मा नि0 ग्राम मंगरमौली तह0 सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदक / उत्तरदाता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

3.8.13 महोदय,

बॉछित आदेश :— न्यायालय आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के राजस्व प्रकरण क्रमांक 23 / अपील / 2011-12 डोमल सिह ..... विरूद्ध ..... जमना प्रसाद वगैरह में पारित आदेश दिनाक 26 / 11 / 2012 से परिवेदित होकर ठोस आधारो पर निगरानी प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3011–पीबीआ/13 **जिला** रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
14–1–2015	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 26–11–2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन नहीं होने से सीमांकन नहीं किया जा सकता था, इसके बावजूद भी प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन किया जाकर आवेदक को बेदखल किए जाने का आदेश तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जो कि अवैधानिक कार्यवाही होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई थी, परन्तु आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । प्रत्युत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश के पालन में प्रश्नाधीन भूमियों का कब्जा अनावेदक को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाये । 2/ आयुक्त द्वारा अपने आदेश में प्रथम दृष्टया विधिसंगत निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि बटवारा अनुसार बटांकन नहीं किया गया है, जबकि अभिलेख में बटांकन नक्शा संलग्न है, जिसमें अनावेदक की भूमि पृथक से दर्शायी गई है । यदि आवेदक को बटांकन में आपत्ति थी, तब सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिए थी, इस ओर	

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष